



भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



संघ सरकार (सिविल)  
स्वायत्त निकाय  
2013 की सं. 23

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक  
का  
प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)  
स्वायत्त निकाय  
2013 की सं. 23

## विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
<b>अध्याय I : सामान्य</b>		
स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखे	1.1	1
संसद के दोनों सदनों के समक्ष केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखापरीक्षित लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलंब	1.2	4
उपयोग प्रमाण पत्र	1.3	5
प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा के परिणाम	1.4	6
<b>अध्याय II : कृषि मंत्रालय</b>		
<b>राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड</b>		
विशिष्ट रोगजनक मुक्त झींगा सन्तति गुणन केन्द्र की स्थापना पर निष्फल व्यय	2.1	25
<b>अध्याय III : संस्कृति मंत्रालय</b>		
<b>एशियाई समिति, कोलकाता</b>		
कर्मचारियों को अनुचित लाभ	3.1	29
<b>अध्याय IV : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय</b>		
<b>अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान</b>		
शिक्षण साधन भत्ते पर अप्राधिकृत व्यय	4.1	33
शल्य चिकित्सीय मदों के प्रापण पर अधिक भुगतान	4.2	34
<b>अध्याय V : मानव संसाधन विकास मंत्रालय</b>		
<b>उच्चतर शिक्षा विभाग</b>		
<b>योजना एवं वास्तुकला विद्यालय</b>		
भूमि की खरीद पर निधियों का अवरोधन	5.1	39
अनियोजित खरीद के कारण सू.प्रौ. उपकरण बेकार पड़े रहे	5.2	40
संकाय सदस्यों द्वारा कंप्यूटरों तथा पेरिफेरल की खरीद की प्रतिपूर्ति हेतु संचित व्यवसायिक विकास भत्ते का अनियमित उपयोग- ₹ 1.52 करोड़	5.3	42

	पैराग्राफ	पृष्ठ
<b>भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय</b>		
जल प्रभारों पर छूट का दावा न किया जाना	5.4	43
<b>विश्व भारती</b>		
ब्याज की हानि	5.5	44
<b>अध्याय VI : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय</b>		
<b>प्रसार भारती</b>		
अधिक संस्वीकृत भार के कारण विद्युत आपूर्ति हेतु अतिरिक्त भुगतान	6.1	46
<b>अध्याय VII : पोत परिवहन मंत्रालय</b>		
<b>मोर्मूगाव पत्तन न्यास</b>		
निधियों का अवरोधन	7.1	48
<b>अध्याय : VIII</b>		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की सारांशीकृत स्थिति	8.1	52
<b>परिशिष्ट</b>		
I	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2007-08 से 2011-12 तक अवमुक्त किए गए अनुदानों/ऋणों की लेखापरीक्षा भा.नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 के धारा 19(2) और 20(1) के अधीन की गई	55
II	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को 2007-08 से 2011-12 के दौरान अवमुक्त किए गए अनुदानों/ऋणों की भा.नि.म.ले.प. (क.श.से.) अधिनियम, 1971 के धारा 14(1) और 14(2) के अधीन की गई लेखापरीक्षा	81
III	निकायों की सूची, जिन्होंने तीन महीनों से भी अधिक की देरी के पश्चात लेखा प्रस्तुत किया	98
IV	लेखा की प्रस्तुति में 2011-12 तक की अवधि के लिए बकाया	101
V	स्वायत्त निकायों की सूची, जिनका लेखापरिक्षित लेखा संसद में 31 दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत नहीं किया गया	102
VI	स्वायत्त निकायों द्वारा पार्लियामेंट को वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के लिए लेखापरिक्षित लेखा की प्रस्तुति में देरी	109
VII	अप्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र	120
VIII	की गई कार्यवाही पर टिप्पणियाँ मार्च 2013 तक	133

		पैराग्राफ	पृष्ठ
अनुबंध			
I	स्वायत्त निकायों की सूची, जहाँ वर्ष 2011-12 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई		137
II	स्वायत्त निकायों की सूची, जहाँ वर्ष 2011-12 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था		140
III	स्वायत्त निकायों की सूची, जहाँ वर्ष 2011-12 के दौरान वस्तु सूचियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था		143
IV	स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने वित्त-मंत्रालय द्वारा नियत की गई निवेश पद्धति के अनुसार, भविष्य निधि शेष का निवेश नहीं किया था		146
V	स्वायत्त निकायों की सूची, जो नगद आधार पर अनुदानों का लेखांकन करती हैं		147
VI	स्वायत्त निकायों की सूची, जिनकी गणना बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपादान एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नहीं की गयी है		149
VII	स्वायत्त निकायों की सूची जिन्होंने अचल संपत्तियों पर हुए ह्रास को उपलब्ध नहीं कराया है		152
VIII	स्वायत्त निकायों की सूची, जिन्होंने लेखापरीक्षा के आग्रह से अपने लेखा में संशोधन किया		153